

सेवा भे.

9426

ED139390579-1N

कैफ़ी बंगला.....पुणे, पुणे, दिल्ली

दिनांक...०५/०८/१७

२-८-१७



NODAL OFFICER
NRI CELL/PIHQ

3/8/17

श्रीमान दिल्ली पुलिस आयुक्त महोदय जी,
आर.टी.आई सैल,
दिल्ली पुलिस मुख्यालय,
आई.पी.स्टेट, नई दिल्ली-110002,

विषय - आर.टी.आई कानून 2005 का नियम 4 व 5, पोस्टल आर्डर न.38F 235219 फीस 10 रूपए के अनुसार मेरे लडके अजय, तरसेन सिंह के विषय मे मैंने आपके कार्यालय मे दिनांक 21-04-2017 को पत्र भेजा था, लेकिन आपने मेरे पत्र का अभी तक कोई भी जवाब नही दिया। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र।

श्रीमान जी,

निवेदन यह है कि मेरा लडका अजय-तरसेन सिंह दिनांक 05-04-2009 से हमारे पास नही रहता। विकास व बिन्दा तथा इनके साथियो ने दिनांक 12-04-2009 रात के 10:30 बजे हमारे मकान के दरवाजे व शीशे तोड दिए तथा मकान मे आग लगाने व कब्जा करने की कोशिश की। फिर मेरे पति ने रात के 11 बजे 100 न. पर कॉल की। मेरे पति ने इनकी शिकायते दिनांक 12,13 और 24 अप्रैल 2009 को सेक्टर 3 के थाने मे तथा 23 अप्रैल 2009 को कमिश्नर व D.C.P साहब को भेजी थी। मेरे पति ने दिनांक 27-05-2009 को D.C.P ऑफिस मे R.T.I लगाई और उसका रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन आज तक मेरे पति की R.T.I और रिमाइंडर का कोई जवाब नही आया।

मैं जानना चाहती हूं, कि -

1. मेरे लडके पर कितने केस है, कौन-कौन से कोर्ट के केस है और उनकी स्टेटस रिपोर्ट क्या है?
2. मेरे लडके को गलत तरीके से B.C बनाया गया। जब मेरे लडके को कोर्ट ने बरी कर दिया तो मेरा लडका B.C कहां से हो गया?
3. मेरे लडके पर जो दिल्ली पुलिस अधिकारी झूठे केस बनाने के जिम्मेदार है और जो बनवाने के जिम्मेदार है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?
4. हमारे घर पर श्री जयप्रकाश SHO साहब ने दिनांक 06-09-2011 को शाम 7 बजे बिना नेम प्लेट के हवलदार द्वारा बातचीत के बहाने भेज कर घर मे सोफे पर गांजे का पैकेट रखवा दिया था। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई?
5. विकास व बिन्दा ने हमे झूठे केसो मे फंसाने के लिए तिमारपुर थाने वालो से मिलकर दिनांक 06-10-2013 को रात के डेढ बजे तिमारपुर थाने वाले हमारे घर पर भेज दिए। उस समय मेरा लडका रोहिणी जेल मे बंद था। जेल मे बंद होते हुए तिमारपुर थाने वालो ने मेरे लडके पर झूठा केस बना दिया। उस समय विकास वहीं पर मौजूद था। मेरे लडके पर जितने दिल्ली पुलिस ने केस बनाए उनमे विकास व बिन्दा पूरी तरह जिम्मेदार है।
6. मेरे पति की शिकायतो पर तथा उसकी आर.टी.आई दिनांक 27-05-2009 की तथा रिमाइंडर पर क्या कानूनी कार्यवाही हुई?

7. मेरे पति के हस्ताक्षर और मेरा अगूठा निशान श्री राजेन्द्र सिंह विजिलेंस ऑफिसर ने किस फार्म पर लिया?
8. मैंने दिनांक 21-04-2016 को अशोक विहार विजिलेंस ऑफिस में श्री राजेन्द्र सिंह को बयान दिया था। उस बयान पर क्या कार्यवाही हुई?
9. मैंने आपसे मिलने का समय मांगा था। मेरे लडके पर जो झूठे केस बनाने के जिम्मेदार हैं और जो बनवाने के जिम्मेदार हैं, उनको भी वही समय दिया जाए जो मुझे दिया जाएगा।
10. मेरे लडके को झूठे केसों में फंसाने के लिए आयकर अधिकारी ने दिनांक 20-06-2016 को आयकर का झूठा नोटिस भेज दिया। जिस समय का साल 2012-13 का आयकर अधिकारी ने झूठा 2 लाख रुपए कोप्रोटिव क्रेडिट सोसायटी में जमा कराने का नोटिस भेजा। उस समय मेरा लडका रोहिणी जेल में बंद था।

इन सब की जानकारी मेरी आर.टी.आई के जवाब में मेरे को दी जाए। मैं आपसे आशा करती हूँ, कि आप मेरी आर.टी.आई का जवाब देकर मेरी मदद अवश्य करेंगे। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद,

दिनांक - 02-08-2017



प्रार्थिनी,

सन्तरा देवी पत्नी श्री प्रकाश,
जी-28/202, सै-3, रोहिणी,
दिल्ली- 110085,
मो. 9278606825,